(8)

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–2
संख्या–जी–2–2017/दस–2008–216/79
लखनऊः दिनांकः 08 दिसम्बर, 2008

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः–प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि तथा बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति।

कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–4–394/दस–99–216/79, दिनांक 04–6–1999 द्वारा स्थायी एवं अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 135 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था। वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर प्रसूति अवकाश की अवधि 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार विशिष्ट परिस्थितियों यथा बीमारी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु संतान की उम्र 18 वर्ष होने की अवधि तक महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम **दो वर्ष (730 दिन)** का बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य कराने की व्यवस्था प्रसूति अवकाश के संबंध में लागू अन्य शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए की गयी है। यह दोनो व्यवस्थायें गोद ली गयी संतान के मामले में भी उसी प्रकार लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2– अतः श्री राज्यपाल महोदय संदर्भगत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04–6–1999 को अतिक्रमित करते हुए प्रसूति अवकाश के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–153(1) के अधीन सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार तक लागू अन्य शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रसूति अवकाश, अवकाश प्रारम्भ होने की तिथि से 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन करने तथा विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम **दो वर्ष (730 दिन)** का बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह दोनों व्यवस्थायें (प्रसूति अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश) गोद ली गयी संतानों के मामलों में भी लागू होगी।

3– उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के महिला शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी।

4– उक्त नियम की अन्य शर्ते यथावत् प्रभावी रहेंगीं।

5– उपर्युक्त आदेश दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी होगें।

6– संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा।

अनूप मिश्र
(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

संख्या: जी–2–176 / दस–2011–216–79

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 11 अप्रैल, 2011

विषय :–महिला सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश की अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–जी–2–2017 / दस–2008–216–79, दिनांक 08–12–2008 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या जी–2–573 / दस–2009–216–79, दिनांक 24–3–2009 द्वारा प्रदेश की महिला सरकारी सेवकों को केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारियों की भांति बाल्य देखभाल अवकाश की सुविधा कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी थी। चूंकि भारत सरकार द्वारा उक्त शर्तों में कतिपय संशोधन किए गए हैं अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय संदर्भगत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों को निम्नवत् संशोधित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1)– संबंधित महिला कर्मचारी के अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश देय होते हुए भी बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य होगा।

(2)– बाल्य देखभाल अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष के दौरान तीन बार से अधिक नही दिया जायेगा।

(3)– बाल्य देखभाल अवकाश को 15 दिनों से कम के लिए नही दिया जायेगा।

(4)– बाल्य देखभाल अवकाश को साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान नहीं दिया जायेगा, ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ अवकाश देने वाला प्राधिकारी परिवीक्षार्थी की बाल्य देखभाल अवकाश की आवश्यकता के बारे में पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो। इसे भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परिवीक्षा अवधि के दौरान अवकाश दिया जा रहा है तो इस अवकाश की अवधि कम–से–कम हो।

(5)– बाल्य देखभाल अवकाश को अर्जित अवकाश के समान माना जायेगा और उसी प्रकार से स्वीकृत किया जायेगा।

2– यदि किसी महिला कर्मचारी द्वारा दिनांक 08–12–2008 के कार्यालय ज्ञाप के जारी होने के पश्चात्, बाल्य देखभाल के प्रयोजन हेतु अर्जित अवकाश लिया गया है तो उसके अनुरोध पर उक्त अर्जित अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में समायोजित किया जा सकेगा।

3– शासनादेश संख्या जी–2–2017 / दस–2008–216–79, दिनांक 08–12–2008 तथा शासनादेश संख्या जी–2–573 / दस–2009–216–79 दिनांक 24–03–2009 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

4– संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जायेंगे।

भवदीया,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव, वित्त

(150)

Smt. Richa Pandey
to file with G.Os.
15-02-16

अति महत्वपूर्ण

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांक डिग्री अर्थ–1/ /2015–16 दिनांक 1-02-2016

विषयः सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में वेतन संदाय खातों के एकल संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–60–डी के परन्तुक में कतिपय शर्तो के अधीन वेतन संदाय खाते के एकल संचालन की व्यवस्था उल्लिखित है। उक्त परन्तुक का सुसंगत अंश निम्नवत है–

" Provided further that in the case reffered to in sub-section(3) or where in any other case after giving to the management an opportunity of showing cause, the Deputy Director in or opinion that it is necessary or expedient so to do, the Deputy Director may instruct the bank that the Salary Payment Account shall be operated only by himself, or by such other officer as may be authorised by him in that behalf and may at any time revoke such instruction."

उक्त से स्पष्ट है कि वेतन संदाय खाते के एकल संचालन हेतु निर्देशित किये जाने का अधिकार उपनिदेशक के पास निहित है। चूँकि विश्वविद्यालय अधिनियम तथा विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियों में निहित प्राविधानों में जिला विद्यालय निरीक्षक व मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक के स्थान पर सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों से सम्बन्धित समस्त वित्तीय कार्य वर्तमान में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जाते है, अतः वेतन संदाय खातों के एकल संचालन के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, विधिक रूप से सक्षम अधिकारी हैं।

उल्लेखनीय है कि एकल संचालन की परिस्थितियां उत्पन्न होने की स्थिति में तत्सम्बन्धी निर्णय लये जाने हेतु क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा के पास प्रेषित किये जाते हैं, जिससे शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान में अनावश्यक विलम्ब होता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपको यह निर्देशित किया जाता है कि कि अपने क्षेत्रान्तर्गत सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में यदि विश्वविद्यालय अधिनियम में निहित प्राविधानों के अनुसार वेतन संदाय का एकल संचालन किया जाना आवश्यक हो, तो ऐसी स्थिति में उपयुक्त होगा कि एकल संचालन के निर्णयार्थ शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, को प्रस्ताव प्रेषित करने के बजाय इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त आप स्वयं अपने स्तर से निर्णय लें तथा उक्त निर्णय से अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र अवगत करादें।

भवदीय,

डा0(आर0पी0 सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

पृ0सं0 डिग्री अर्थ–1/ 7554-7882 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रबंधक/प्राचार्य, समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3. संयुक्त निदेशक–1, 2/वित्त नियंत्रक, उ0शि0/सहायक निदेशक–1, 2, 3 उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. तकनीकी सहायक, उच्च शिक्षा–विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
5. गार्ड फाईल।

डा0(आर0पी0 सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ, उ०प्र०, पिन—226007

Smt. Richa Pandey
to file

सन्दर्भ संख्या :.................................

दिनांक :.................................

कार्यालय—आदेश

दिनांक 09 जनवरी, 2016 को सम्पन्न कुलपति सम्मेलन में मा० कुलाधिपति द्वारा दिये गये निर्देश बिन्दु संख्या : (b) के अनुपालन में निर्देशित किया जाता है कि—"विश्वविद्यालय के किसी भी शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा राजभवन में प्रत्यावेदन उचित माध्यम से ही प्रेषित किये जायेंगे कोई भी प्रत्यावेदन सीधे प्रेषित नहीं किये जायेंगे।" यदि किसी शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

डॉ० एस०बी० निमसे
कुलपति

संख्या : 7715 – 75 दिनांक : 01/03/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, मा० श्री राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय को मा० कुलाधिपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक प्रति कुलपति को प्रति कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, ल०वि०वि०।
5. कुलानुशासक, ल०वि०वि०।
6. कार्य अधीक्षक, निर्माण विभाग, ल०वि०वि०।
7. निदेशक, आई०पी०पी०आर०, ल०वि०वि०।
8. प्राचार्य, समस्त सहयुक्त महाविद्यालय, लखनऊ।
9. इंचार्ज, बेवसाइट एवं कम्प्यूटर केन्द्र, ल०वि०वि० को इस आशय से प्रेषित कि समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/समस्त महाविद्यालयों को ई—मेल से प्रेषित करने व विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, ल०वि०वि०।
11. कुलसचिव कार्यालय, ल०वि०वि०।
12. समस्त उपकुलसचिव ल०वि०वि०।
13. समस्त कार्यालय अधीक्षक/प्रभारी, ल०वि०वि०।

(एस०के०शुक्ल) 29.02.2016
परीक्षा नियन्त्रक/प्रभारी कुलसचिव

Smt Richa Pandey
&
Ch. Manoj Pal
to
3-8-15

(50)

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
डिग्री अर्थ–1 अनुभाग
उच्च शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :– डिग्री अर्थ–1 / 1992-2469 / 2015–16 दिनांक : 01.08.2015

विषय :– महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों द्वारा उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक डिग्री अर्थ–1 / 16651–17100 / 1988–89 दिनांक 11.02.1988 एवं तत्पश्चात् शासन के पत्र संख्या–3144 / सत्तर–2–98–16(57) / 98 दिनांक 16.12.1998 के क्रम में निदेशालय द्वारा निर्गत पत्रांक डिग्री अर्थ–1 / 17800 / 1998–99 दिनांक 19.03.1999 जो कार्यरत शिक्षकों द्वारा उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर किये जाने से सम्बन्धित है, का सन्दर्भ ग्रहण करें। निदेशालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय महाविद्यालयों द्वारा बायोमैट्रिक प्रणाली से उपस्थिति अंकित कराने के पश्चात् प्राचार्य कक्ष में उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर नहीं कराये जा रहे है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि बायोमैट्रिक प्रणाली से उपस्थिति अंकित कराने के पश्चात् भी प्राचार्य कक्ष में रखी उपस्थिति पंजिका पर भी अनिवार्य रूप से महाविद्यालय के कार्यरत प्राध्यापकों के हस्ताक्षर अंकित कराये जायें, साथ ही यदि प्राचार्य कक्ष के स्थान पर सम्बन्धित विभागों में प्राध्यापकों की उपस्थिति पंजिकायें हस्ताक्षर हेतु रखी जा रही हो, तब उनको सम्बन्धित विभाग के स्थान पर प्राचार्य कक्ष में एक अथवा विभागवार उपस्थिति पंजिकाओं को रखकर वही हस्ताक्षर कराये जायें ताकि अकस्मिक निरीक्षण के समय तत्काल उनकी स्थिति ज्ञात हो सके।

प्राचार्य कक्ष में रखी उपस्थिति पंजिकाओं पर अंकित उपस्थिति जिसको सम्बन्धित प्राचार्य / प्राचार्या द्वारा सत्यापित किया गया हो ही विधि मान्य होगी।

भवदीय

प्रो0 (अखिलेश कुमार)
शिक्षा निदेशक (उ0शि0)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्या डिग्री अर्थ–1 / / तद्दिनांक

प्रतिलिपि– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के अपने परिक्षेत्र के समस्त शासकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में इस निर्देश के प्रसारणार्थ एवं उसका अनुपालन एवं अनुश्रवण करने हेतु प्रेषित ।

प्रो0 (अखिलेश कुमार)
शिक्षा निदेशक (उ0शि0)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

Amit

Response of AG

No. There is a complete prohibition.

Query

e) Whether, Government departments and agencies can continue seeding Aadhaar on voluntary basis into their beneficiary database.

Response of AG

Yes, please refer to answer (a).

This issues with the approval of Secretary DeitY.

Archana
(Archana Dureja)
Scientist 'F'/Director
Tel. No. 24362528

To,
Secretaries of all GOI Ministries/Departments
Chief Secretaries of all States

102

172 887
04/12/15

File No. 10(36)/2015-EG-II(Part-IV)
Government of India
Department of Electronics & Information Technology
(E-Governance Division)
******

Electronics Niketan
6, CGO Complex
New Delhi-110003
Dated: 01 Dec 2015

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Guidance on the interim orders of the Hon'ble Supreme Court dated 11-08-2015 and 15.10.2015 in W.P. 494 of 2012 and other related matters.

I am directed to refer to the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 11/08/2015 and 15/10/2015 in W.P. 494 of 2012. UIDAI had sought the advice and opinion of the Attorney General (AG) on the usage of Aadhaar by Central/State Governments. The advice/ clarification received from Attorney General is as under:-

Query

a) Whether in light of the above interim orders, a resident can use his own Aadhaar voluntarily for the purpose for the purpose of his identification and authentication and if so, whether the authorities can accept the said Aadhaar as the resident's proof of identity. For example, if a person uses his Aadhaar card as proof of identity in an airport or to authenticate his identity as part of a government application, can the airport authorities/relevant government authorities accept Aadhaar as the person's proof of identity or ask him to produce some other ID.

Response of AG

Yes. Voluntary use for purposes of identification by an Aadhar cardholder, say at the airport, is valid and it not necessary to ask for production of some other ID.

Query

b) Whether, in light of the fact that the Hon'ble Supreme Court has allowed use of Aadhaar in the Prime Minister's Jan Dhan Yojna (PMJDY) Scheme, an umbrella scheme, which prescribes for channelling all Government benefits through beneficiaries' Jan Dhan Accounts, can the Government implement Direct Benefit Transfer schemes of Government of India if they are channelled through PMJDY accounts.

Response of AG

Channelizing Govt. benefits i.e. DBT Schemes through PMJDY would be in line with the order of the Supreme Court dt. 15.10.2015.

Query

c) For implementation of the welfare programmes, various government agencies and departments have requested UIDAI for biometric information of the individuals who had given their consent for sharing their data at the time of Aadhaar enrolment or subsequently. In light of the interim orders stated above, whether biometrics of such individuals can be shared with the requesting entities.

Response of AG

No. Sharing of biometric data is prohibited.

Query

d) Various government agencies/departments have requested for access to the Aadhaar database to locate the details of the person whose Aadhaar number is not known by matching the demographic details. In light of the above-mentioned interim orders, whether enabling access to the Aadhaar database, in such cases, would be permissible.

(37)

कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ—226007

182

Smt. Reeta Pandey & Sh. Manoj Pal to store in copy file 15-6-15

संदर्भ संख्या :................./सम्बद्धता/2015

दिनांक :.................................

कार्यालय—आदेश

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्त समिति की बैठक दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 एवं कार्य परिषद की बैठक दिनांक 15.12.2014 में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत नये पाठ्यक्रम/विषय संचालित करने हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया गया है :—

1. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों हेतु सहयुक्तता शुल्क रू0—1.00 लाख (एक लाख) लिया जायेगा।
2. नये विषयों में सहयुक्तता दिये जाने का शुल्क रू0 50,000/(रू0 पचास हजार) लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्धारित दरें दिनांक 01.05.2015 से प्रभावी होंगी। यह भी सूच्य है कि निरीक्षण मण्डल/विषय विशेषज्ञ नामित किये जाने शुल्क सम्बन्धी आदेश संख्या : आर/3350—3460/सम्बद्धता/2010, दिनांक 07.05.2011 द्वारा निर्धारित दरें यथावत् लागू रहेंगी।

(डॉ0 अखिलेश मिश्रा)
कुलसचिव

संख्या :1213339/सम्बद्धता अनु./2015, दिनांक :02/05/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रति कुलपति को प्रति कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, ल0वि0।
4. वित्त अधिकारी, ल0वि0वि0।
5. प्रबन्धक/प्राचार्य, समस्त सहयुक्त महाविद्यालय।
6. उप कुलसचिव (सम्बद्धता), ल0वि0वि0।
7. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
8. गार्ड फाईल।
9. प्रभारी, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेश को वि0वि0 की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(राम कुमार)
उप कुलसचिव (सम्बद्धता)

06/15

Letter-pad

प्रस्ताव प्रेषित करते समय अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये शैक्षिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता व वैधता का भी अपने स्तर से परीक्षण अवश्य कर लें तथा यह भी परीक्षण कर लिया जाय कि परिवार के अन्य सदस्य जो स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं के अनुरक्षण के लिए मृतक–आश्रित के समायोजन/सेवायोजन की आवश्यकता है । असत्य/त्रुटिपूर्ण कथन के लिए मृतक–आश्रित के साथ–साथ प्रस्ताव अग्रसारित करने वाले प्राचार्य/प्रबन्धक भी उत्तरदायी होंगें।

अतः शासनादेशों की व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय

(अखिलेश कुमार)
शिक्षा निदेशक(उ0शि0)
उ0प्र0,इलाहाबाद ।

पृ0सं0 डिग्री सेवा/3600-4100 /2015–16 तददिनांक
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव,उच्च शिक्षा, अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– समस्त सहायक निदेशक(उ0शि0)/प्र0अ0 डिग्री सेवा/डिग्री अर्थ–1 अनुभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,इलाहाबाद।

(अखिलेश कुमार)
शिक्षा निदेशक(उ0शि0)
उ0प्र0,इलाहाबाद ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ आलेखक प्रालेखक, वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक, सहायक कार्यालय अधीक्षक अथवा लिपिकीय संवर्ग में अन्य किसी नाम से	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/ - 2400/ - अथवा 2800/ -	वरिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/ -	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।
3	कार्यालय अधीक्षक, प्रधान सहायक, हेड असिस्टेंट	वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/ -	प्रधान सहायक	वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/ -	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदों से।

2- पुस्तकालय लिपिक:-

क्र0	पूर्व व्यवस्था		वर्तमान व्यवस्था		
	पद नाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	पदनाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	शैक्षिक अर्हता एवं भर्ती की विधि
1	2	3	4	5	6
1	पुस्तकालय लिपिक	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900/ -	पुस्तकालय सहायक	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/ -	पुस्तकालय सहायक के पद पर भर्ती की अर्हता इन्टरमीडिएट तथा भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में 06 माह का प्रमाण पत्र एवं डोयक सोसाइटी परिवर्तित नाम नाइलेट से सी0सी0सी0 लेबल का प्रमाण-पत्र निर्धारित किया जाता है।

2- उक्तानुसार उच्चीकृत वेतन बैण्ड/ ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पद धारकों का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/ दस-2009-59(एम)/ 2008 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-1345/ दस-2015 दिनांक 09-10-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या-19/ 2015/ 581/ सत्तर-2-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक/ वित्त अधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ।
(3) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।
(4) समस्त क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(5) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/ अनुभाग ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/ वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2/ बजट-2
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 ध्रुव पाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-19/ 2015/ 581/ सत्तर-2-2015-16(645)2011

प्रेषक,

प्रमोद कुमार उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 03 नवम्बर, 2015

विषय: वेतन समिति, 2008 के 11वें प्रतिवेदन के माध्यम से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामान्य संवर्ग तथा अन्य संवर्ग के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-डिग्री अर्थ-1/ 1131/ 2015-16, दिनांक 30-06-2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, 2008 के 11वें प्रतिवेदन के माध्यम से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामान्य संवर्ग तथा अन्य संवर्ग के संबंध में प्राप्त संस्तुतियों पर वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-665(1)/ दस-54(एम)/ 2008 टी सी दिनांक 26 सितम्बर, 2013 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में लिपिकीय संवर्ग एवं पुस्तकालय लिपिक संवर्ग के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त पूर्व व्यवस्था में संशोधन करते हुए निम्नानुसार व्यवस्था दिनांक 26 सितम्बर, 2013 से लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- लिपिकीय संवर्ग-

क्र0	पूर्व व्यवस्था		वर्तमान व्यवस्था		
	पद नाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	पदनाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	शैक्षिक अर्हता एवं भर्ती की विधि
1	2	3	4	5	6
1	कनिष्ठ लिपिक-सह टंकक कनिष्ठ सहायक कार्यालय, सहायक, रूटीन लिपिक	वेतन बैण्ड-1 रू05200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900/-	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/-	80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता इन्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी परिवर्तित नाम नाइलेट द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/ अंग्रेजी में कम से कम क्रमश: 25/ 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। 15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाई स्कूल हों तथा टंकण ज्ञान रखते हों । 05 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इन्टर मीडिएट हों तथा टंकण ज्ञान रखते हों ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(109)

कुलपति/कुलसचिव द्वारा स्थगित/विखण्डित करने पर सम्बन्धित प्राचार्य/शिक्षक को पुनः कार्यभार ग्रहण कराने अथवा उसका लाभ दिलाने के प्रदत्त उनके अथवा विभागीय आदेशों का अनुपालन भी नही किया जाता है। फलस्वरुप ऐसे प्रबन्धतंत्रों द्वारा शासन/विभाग/विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों/आदेशों का घोर/चरमसीमा तक उल्लंधन किया जा रहा है, जोकि अत्यंत खेदजनक है।

(4). इसीप्रकार महाविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 24.02 एवं 24.03 में निम्न प्राविधान किये गये है:-

"The appointing authority referred to in statue 24-01 shall have the power to take disciplinary action and award punishment against the class of employee of which he is appointing authority."

"Every decision of the appointing authority referred to in statue 24-02 shall, before it is communicated to the employee be reported to the District Inspector of Schools and shall not take effect unless it has been approved by him in writing"

उक्त प्राविधानों से यह भी स्पष्ट है कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दण्डित करने के नियुक्ति प्राधिकारी के पारित ओदश पर जब तक जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त न हो जाय, तबतक उक्त पारित आदेश क्रियान्वित नही किया जा सकता है।

(5). अतएव, उक्त वार्णित तथ्यों के आलोक में महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्रों से यह अनुरोध है कि कृपया महाविद्यालय के प्राचार्य/शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में पारित दण्डादेश को क्रियान्वित किये जाने से पूर्व उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (यथासंसोधित)-1973 की सुसंगत धाराओं एवं विश्वविद्यालय परिनियमावली की सुसंगत व्यवस्थाओं का अनुपालन करते हुए उसका सक्षम स्तर से लिखित रुप में निश्चित रुप से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये एवं तदोपरान्त ही उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये, जिससे किसी प्रकार की विसंगति/अविधिक/असंवैधानिक/अनियमित स्थिति से बचा जा सके, अन्यथा उक्त आदेशों का अनुपालन न करने की दशा में सम्बन्धित महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र स्वयं उत्तरदायी होगा।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीया

डॉ0(सरला सिंह)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा आधिकारी
लखनऊ

पृ0सं0/क्षे0का0ल0/ /2016-17, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1). प्रमुख सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(2). शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3). कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यलय, लखनऊ।
(4). जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
(5). अध्यक्ष, लुआक्टा।

डॉ0(सरला सिंह)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा आधिकारी
लखनऊ

पर उपलब्ध संदर्भ संख्या से करके किया जा सकता है। शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा पर फीस हेल्पलाईन नंबर **9129628277** पर संपर्क कर सकते हैं जोकि प्रत्येक कार्यदिवस पर प्रातः 10:30 से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध रहेगा।

भवदीय

(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त अधिकारी

पत्रांकः / 2016 दिनांक उक्तवत।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपतिजी के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कुलसचिव, लविवि को सूचनार्थ प्रेषित।
3. परीक्षा नियंत्रक, लविवि।
4. निदेशक, आई0पी0पी0आर0।
5. उपकुलसचिव, प्रवेश / संबद्धता, लविवि।
6. सहायक कुलसचिव, लेखा।
7. प्रभारी, वेबसाईट / डीटीपी सेल।
8. कैश अधीक्षक, प्रथम व द्वितीय परिसर, कैशियर कार्यालय।

(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त अधिकारी

3- उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन प्रोत्साहन योजना हेतु पात्रता का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:-

(1) महाविद्यालय को नैक (NAAC) द्वारा "ए" श्रेणी प्रदान किया गया हो तथा जिस दिनांक को योजना लागू होगी, उस दिनांक को (NAAC) द्वारा "ए" श्रेणी प्राप्त महाविद्यालयों को ही पात्रता की श्रेणी में माना जायेगा।

(2) प्रथम चरण में उन महाविद्यालयों, ऐसे पाठ्यक्रमों को इस योजनान्तर्गत लिया जायेगा जो कम से कम 05 वर्ष से स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निरन्तरता के साथ संचालित किये जा रहे हैं।

(3) योजनान्तर्गत ऐसे सभी नियमानुसार नियुक्त शिक्षक पात्र होंगे, जो यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखते हैं तथा जिन्हें क्रमशः कम से कम 03 शैक्षिक सत्रों का अनुभव प्राप्त हो गया हो।

(4) योजना सतत गतिमान होगी एवं जो पाठ्यक्रम एवं शिक्षक योजना से आच्छादित होते जायेंगे, वह पात्रता श्रेणी में आते जायेंगे।

4- उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों को निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा:-

(1) संबंधित प्रबन्ध तंत्र शपथपत्र पर अपनी स्पष्ट सहमति सहित आवेदन प्रस्तुत करें।

(2) इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 30 जून, 2014 तक आवेदन करना आवश्यक होगा।

(3) योजनान्तर्गत आने वाले महाविद्यालय इस आशय की वचनबद्धता देंगे कि वे योजना के अन्तर्गत आने वाले शिक्षकों को राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता एवं विभिन्न स्रोतो से महाविद्यालय को होने वाली आय के माध्यम से छठें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप शिक्षक को अनुमन्य मूल वेतन का न्यूनतम+ग्रेडपे एवं उस पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा समय-समय पर मिलने वाली वेतन वृद्धियों के समतुल्य धनराशि, वेतन के रूप में भुगतान करेंगे।

-3-

(18)

014

संख्या-53/सत्तर-2-2014-16(390)/2013

प्रेषक,

नीरज कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 05 फरवरी, 2014

Forwarded to Hon'ble managers
07.04.14

07.4.14

विषयः प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में ''उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन प्रोत्साहन योजना'' लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-डिग्री अर्थ (1)/2752/2013-14 दिनांक 22-10-2013 व डिग्री अर्थ-1/3356/2013-14, दिनांक 17-12-2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने एवं सुधार को प्रोत्साहित करने, अनुभवी एवं दक्ष शिक्षकों को सेवा के बेहतर अवसर प्रदान करने एवं छात्रहित में उक्त पाठ्यक्रम को संचालित कर रहे पात्र एवं उत्कृष्ट महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा सीमित आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ''उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन प्रोत्साहन योजना'' लागू किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- यह योजना प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में लागू होगी। योजनान्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। आर्थिक सहायता प्रदान करते समय इन बिन्दुओं को संज्ञान में लिया जायेगा कि संबंधित महाविद्यालय में योजना से आच्छादित कुल कितने पाठ्यक्रम लम्बे समय से कुशलता के साथ संचालित हो रहे हैं तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में निर्धारित योग्यता के कितने अनुभवी शिक्षक कार्यरत हैं।

उ0प्र0 प्राचार्य जी,
उपरोक्त पत्र Directorate की website से प्राप्त हुआ है।
07/04/14

GO 2014

Lucknow University Associated Colleges Teacher's Association (LUACTA)

लखनऊ विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ (लुआक्टा)

(14)

007

डा0 मनोज पाण्डेय - अध्यक्ष
विधि विभाग,
जय नारायण पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, लखनऊ
कार्यालय फोन : 0522-2635564
मोबाइल : 9415494777, 9415066192
E-mail : drmanojpandeylko@gmail.com

डा0 के0 के0 बाजपेयी - महामंत्री
गणित विभाग,
बप्पा श्रीनारायन वोकेशनल पी. जी. कॉलेज, लखनऊ
कार्यालय फोन : 0522-2424187
मोबाइल : 8604658565, 9839291400
E-mail : kkbajpai.hodm@gmail.com
hodm.kkb4u@yahoo.com

O.S.
Forwarded to Hon'ble Manager Sir with the request that the issue be put up & discussed in the meeting of M/C to be held on 12.04.14
07.04.14

दिनांक 07/04/14

07.4.14

सेवा मे,
प्रबन्धक
नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ

द्वारा :- प्राचार्या, नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ

विषय :- महाविद्यालय की शिक्षिकाओ को बाल्य देखभाल अवकाश दिये जाने के संबंध मे

महोदय,

संघ के संज्ञान मे यह तथ्य आया है कि महिला सशक्तीकरण हेतु सरकार द्वारा पारित बाल्य देखभाल अवकाश आपके महाविद्यालय की शिक्षिकाओ को प्रदान नही किया जा रहा है। इस संबंध मे सूच्य है कि शासनादेश सं 2840/सत्तर-1-2010, दिनांक 31.12.2010 द्वारा बाल्य देखभाल अवकाश प्रदान किया गया एवं शासनादेश सं-377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 3 सितम्बर 13 द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 50(6) द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है, एवं लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.12.13 द्वारा मद सं (8) द्वारा उक्त आदेश को अंगीकृत किया जा चुका है।

अतः आपसे आग्रह है कि महाविद्यालय की शिक्षिकाओ को उक्त अवकाश प्रदान करने हेतु आदेश प्रदान करने का कष्ट करें। संघ आपका आभारी रहेगा

सादर

भवदीय

(डा० मनोज पांडे)
अध्यक्ष

(डा० के० के० बाजपेयी)
महामंत्री

शासनादेश संख्या-6/2015/बी-1-3507/दस-2015-40/2015, दिनांक 07 सितम्बर, 2015 का संलग्नक

राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों के रख-रखाव के सम्बन्ध में सूचना

1- प्रशासकीय विभाग का नाम- ....

2- प्रशासकीय विभाग द्वारा जी0पी0एफ0 खातों के रख-रखाव के दायित्व निर्धारण हेतु जारी आदेश संख्या व दिनांक (प्रति संलग्न करें) ....

3- जी0पी0एफ0 खातों के रख-रखाव एवं उसके कोषागार से नियमित मिलान हेतु उत्तरदायी विभागीय अधिकारी ....

4- लेखाशीर्ष "8338-स्थानीय निधियों की जमा-104-अन्य स्वायत्त निकायों की जमा" के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2002 को जमा धनराशि की सम्परीक्षा (आडिट) की स्थिति ....

5- दिनांक 31 मार्च, 2002 को लेखाशीर्ष "8338-स्थानीय निधियों की जमा-104-अन्य स्वायत्त निकायों की जमा" में जमा जी0पी0एफ0 की धनराशि का लेखाशीर्ष "8009-60-103" में स्थानान्तरित किये जाने की स्थिति ....

हस्ताक्षर
व पदनाम

अभ्युक्ति-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

79 A

will display the course details (code, title, number of credits) grade obtained in each course, and SGPA/CGPA.

3. **Types of Courses**:

Courses in a programme may be of three kinds: Core, Elective and Foundation.

a) **Core Course:-** These are courses which are to be compulsorily studied by a student.

b) **Elective Course:-** Elective course is a course which can be chosen from a pool of elective courses offered by different departments.

c) **Foundation Course:-** In addition to Core and Elective courses, Foundation Courses may be offered where ever required. **The grades obtained in these courses shall not be counted for computation of 'SGPA' and 'CGPA'.**

4. **Attendance requirement.**

Students with less than 75% attendance in a course shall not be eligible to appear in the End Semester Examination. However, in exceptional cases the Dean/Head / Director/coordinator may grant a relaxation in required percentage of attendance by not more than 15 % on the basis of genuine reason.

5. Program Duration and Credit requirements:

Sl. No.	Program	Minimum number of credits	Maximum Duration (In Years)
1	Post Graduate Degree (Four Semester Course)	92	Five Years
2.	Post Graduate Degree (Six Semester Course)	138	Seven Years

6. Examination(s) and Assessment / Evaluation:

6. 01. Evaluation will have two components, namely:

i. Internal Assessment - 30% weightage of a course.

ii. End Semester Exam - 70% weightage of a course.

For the ease of evaluation while making a transition from marks based system to grading system, examination of each course of a semester will be held for maximum marks of 100 irrespective of number of credits allotted to the course (30 for internal assessment and 70 for end semester examination). The marks will be converted to grades as per the following table